

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-०५-१४/२०१७-

139
29.03.2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0011- "छात्रवृत्तियां और वृत्तियां" विपत्र कोड- N2225012770011 के 3302-मुआवजा ईकाई में ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रु०) के उपबंधित राशि में से संभावित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई, में ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये), 1301-कार्यालय व्यय में ₹18,00,000/- (अठारह लाख रुपये), 1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव में 12,00,000/- (बारह लाख रु०) तथा 1101-यात्रा व्यय ईकाई में 9,00,000/- (नौ लाख रु०) अर्थात् कुल ₹50,00,000/- (पच्चास लाख रुपये) मात्रका पुनर्विनियोग कर उपबंध के स्वीकृति का प्रस्ताव ।

आदेश- स्वीकृत ।


2- बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत संलग्न अनुसूची के अनुसार मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई, में ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये), 1301-कार्यालय व्यय में ₹18,00,000/- (अठारह लाख रुपये), 1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव में 12,00,000/- (बारह लाख रु०) तथा 1101-यात्रा व्यय ईकाई में 9,00,000/- (नौ लाख रु०) अर्थात् कुल ₹50,00,000/- (पच्चास लाख रुपये) मात्रका पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है । पुनर्विनियोग राशि का प्रस्ताव निदेशालय स्तर एवं क्षेत्रीय कल्याण कार्यालयों के मॉग के आधार पर की गयी है ।

3- प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है ।

4- प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।


5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपनिदेशक(मुख्यालय), अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(प्रेम सिंह मोगा)

सरकार के सचिव ।

ज्ञापक- सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-०५-१४/२०१७- 139 पटना, दिनांक- 29.03.17
प्रतिलिपि:- अनुसूची के तीन प्रतियों के साथ वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव । ज्ञापक-

सं०सं०-८ डी०(पुनर्विनियोग)-०५-१४/२०१७- 139 पटना, दिनांक- 29.03.17
प्रतिलिपि:- अनुसूची के प्रतियों के साथ संबंधित कोषागार पदाधिकारी, उपनिदेशक, कल्याण(मुख्यालय), संबंधित प्रमंडलीय उपनिदेशक, संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी, संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, बजट शाखा (8डी०)/सांख्यिकी कोषाग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


सरकार के सचिव ।

1/1/17

अतिरिक्त/अनुदान

के लिए आवेदन पत्र।

पुनर्विनियोग

ज़ांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 योजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई, में ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये), 1301-कार्यालय व्यय में ₹18,00,000/- (अठारह लाख रुपये), 1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव में 12,00,000/- (बारह लाख ₹0) तथा यात्रा व्यय इकाई में 9,00,000/- (नौ लाख ₹0) अर्थात् कुल ₹50,00,000/- (पच्चास लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त उपबन्ध हेतु

के क्रम में

स्वीकृति के लिए

को उपस्थापित।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण नीचे लिखित।

प्रस्तावित पुनर्विनियोग


व्ययन

पदाधिकारी का पदनाम - उपनिदेशक कल्याण (मुख्यालय) अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग, प्रमंडलीय उपनिदेशक कल्याण एवं जिला कल्याण पदाधिकारी।

अतिरिक्त/अनुदान

की आवश्यकता के संबंध में स्पष्टीकरण तथा प्रत्यार्पित बचत के संबंध में स्पष्टीकरण

पुनर्विनियोग यदि कुछ हो- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मुख्य शीर्ष ज़ांप सं० बिहार वित्तीय नियमावली भाग 1 के नियम 489 गैरयोजना अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा, 0011- "छात्रवृत्तियां और वृत्तियां" विपत्र कोड- N2225012770011 के 3302-मुआवजा इकाई में ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ ₹0) के उपबंधित राशि में समाहित बचत राशि से मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01 अनुसूचित जातियों का कल्याण-001- निदेशन और प्रशासन, 0001-निदेशन एवं प्रशासन" विपत्र कोड- N2225010010001" (मॉग संख्या-44) के अन्तर्गत 2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं इकाई, में ₹11,00,000/- (ग्यारह लाख रुपये), 1301-कार्यालय व्यय में ₹18,00,000/- (अठारह लाख रुपये), 1302-वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव में 12,00,000/- (बारह लाख ₹0) तथा 1101-यात्रा व्यय इकाई में 9,00,000/- (नौ लाख ₹0) अर्थात् कुल ₹50,00,000/- (पच्चास लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त का पुनर्विनियोग कर उपबन्ध प्रस्तावित है।


सचिव 28.3.17

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति
कल्याण विभाग।

स्तम्भ 2 और 3 तथा स्तम्भ 8 और 9 में यदि कोई अन्तर हो तो उसका स्पष्टीकरण।

11/17

गृहत शीर्षक - 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग कल्याण-01अनुसूचित जातियों का कल्याण-001-निर्देशन और प्रशासन, उपशीर्ष-0001-निर्देशन माग संख्या- 44 एवं प्रशासन (विपत्र कोडएन 2225010010001) 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01अनुसूचित जातियों का कल्याण-277शिक्षा, 0011-छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ(विपत्र कोड-एन 2225012770011)

शीर्षक जिसके अधीन अतिरिक्त अनुदान अपेक्षित है।(N2225010010001)							शीर्षक जिससे विनियोग प्रस्तावित है।(N2225012770011)				
विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित खर्च।	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान।	कुल अनुदान जो जोड़ने के बाद रहेगा।	विनियोग की प्राथमिक इकाइयाँ।	मूल अनुदान (स्वीकृत बजट प्राक्कलन)।	वर्तमान अनुदान।	तात्कालिक लिए गए प्राक्कलन के अनुसार वर्ष के अन्तर्गत संग्रहित खर्च।	प्रत्यर्पित राशि।	कुल अनुदान जो घटाने के बाद रहेगा।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0	₹0
2801-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	5500000	7900000	9000000	1100000	9000000	3302-मुआवजा	100000000	100000000	95000000	5000000	95000000
1301-कार्यालय व्यय	6000000	6000000	7300000	1800000	7800000				कुल-	5000000	
1302-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	12000000	12000000	13200000	1200000	13200000					(पच्चास लाख)	
1101- यात्रा व्यय	4000000	4000000	4900000	900000	4900000						

(Handwritten Signature)
कृपया ध्यान दें
कल्याण विभाग, निर्देशन और प्रशासन

टिप्पणी- (क) स्तम्भ 1 और 7 में एसे लघु और उप-शीर्षक दिखाये जाय, जिनसे इकाई संबंधित हो।
 (ख) स्तम्भ 3 या 9 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मूल अनुदान और पूरक या अतिरिक्त अनुदान की राशि सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार को घटाकर दिखाई जाय।
 (ग) स्तम्भ 6 से 3 और 5 का जोड़ दिखाया जाए।
 (घ) स्तम्भ 12 में स्तम्भ 9 और 11 के आकड़ों का अन्तर दिखाया जाय।
 (ड) अतिरिक्त अनुदान (स्तम्भ 5) की अत्यावश्यकता या आवश्यकता और पुनर्विनियोग (स्तम्भ 11) संबंधी प्रस्ताव का पूरा-पूरा पीट पीट पर दिया जाय।